सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 234/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. जगदीश पुत्र रामकिशन जाति जाट
2. बन्नालाल पुत्र रामकिशन जाति जाट
3. श्रीमति रामकुंवारी पुत्री रामकिशन जाति जाट
4. श्रीमति अनोप पुत्री रामकिशन जाति जाट
5. श्रीमति प्रेम पुत्री रामकिशन जाति जाट

   निवासीगण मोटालाव तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. श्रीमति ऐजन पत्नि स्व देवकरण जाति जाट
2. विनोद पुत्र स्व देवकरण जाति जाट
3. श्रीमति उर्मीला पुत्री स्व देवकरण जाति जाट
4. श्रीमति आशा पुत्री स्व देवकरण जाति जाट
5. श्रीमति माया पुत्री स्व देवकरण जाति जाट
6. श्रीमति इन्द्रा पुत्री स्व देवकरण जाति जाट

   निवासीगण मोटालाव तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
8. उप पंजीयक सावर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–07.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मोटालाव तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 64 के खसरा नम्बर 414, 445, 593, 594, 655, 663, 725, 737, 745, 934, 967/1147, 1007/1190, 1010 किता 13 कुल रकबा 3.89 हैक्ट. भूमि वादीगण के पिताजी एवं प्रतिवादी सं. 1 के ससुर व प्रतिवादी 2 लगायत 5 के दादाजी श्री रामकिशन के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात थी जो श्री रामकिशन की मृत्यु के उपरान्त उनके समस्त विधिक वारिसान के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है। रामकिशन के परिवार का सजरा निम्नप्रकार है–

रामकिशन (फोत)

बरजी फोत पत्नि	देवकरण पुत्र फोत	जगदीश पुत्र	बन्नालाल पुत्र	रामकुंवरी पुत्री	अनोप पुत्री	प्रेम पुत्री

ऐजन पत्नि	विनोद पुत्र	उर्मीला पुत्री	आशा पुत्री	माया पुत्री	इन्द्रा पुत्री

वादवर्णित आराजीयात में वादीगण 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 का 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादीगण व वादीगण के मध्य वादवर्णित आराजीयात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हिस्से की आराजीयात में हकाई, बआई करने से मना करने लगे तथा वादीगण को बैदखल कर वादवर्णित आराजीयात को अन्यत्र बैचान करने पर आमादा है जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादवर्णित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के मध्य बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 व उनके नोकर, चाकर, हाली, सीरी, आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में कब्जे, काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें ना ही वादीगण को जबरन बैदखल करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित नही। प्रतिवादीगण की जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में पेश हुयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगण का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा वाके ग्राम मोटालाव तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 64 के खसरा नम्बर 414, 445, 593, 594, 655, 663, 725, 737, 745, 934, 967/1147, 1007/1190, 1010 किता 13 कुल रकबा 3.89 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हिस्से तक कब्जे काश्त, स्वामित्व, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ना ही वादीगण को उनके हिस्से की आराजीयात से बैदखल आदि करें। तहसीलदार सावर को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौका अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी